अभी निर्णय दे दें, या कल परसों भी दे सकते हैं, मुझे उसके बारे में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि जब तक आपका इस विषय में फैसला न हो जाय तब तक उस प्रश्न सूची को छपाने का काम स्थागित रखा जाए। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और यही मैं आप से निवेदन करना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न तो कोई था ही नहीं और इसकी जरूरत नहीं थी कि मैं इसके लिए कोई खास वक्त निश्चित करता और इसके लिए हाउस का वक्त खर्च करता। पर मेरे मित्र अभी थोड़े अरसे से हाउस में आए हैं और वह इसको बहुत जरूरी समझते हैं, इसलिए मैंने कहा कि यह मसला हाउस के सामने आ जाए।

उन्होंने यह कहा है कि जब गोआ असेम्बली में यह रिजोल्यूशन पास हुआ तो उन्होंने वहां अविलम्बनीय किस्म का काल अटेंशन नोटिस भेज दिया। मैंने उसको नामंजूर कर दिया। पहला उज्र तो उन्होंने यह किया कि उनको जो पत्र यहां से भेजा गया उसमें इसका कोई कारण नहीं दिया गया कि उसे क्यों नामंजूर किया गया, अगर कारण दिया होता तो वह मेरे पास आकर मेरे साथ बात करते। कारण नहीं था, इसलिए तो यह और भी जरूरी था कि वह मेरे पास आकर मुझ से बात करते तो मैं उनको फाइल मंगवा कर दिखा देता और जो वह कहते उस पर गौर कर लेता और अगर कोई दूसरी चीज हो सकती थी तो कर देता। तो कारण न होने से उनका मेरे पास न आना मेरी समझ में नहीं आया।

जब वह नामंजूर हुआ, तो आपने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया। मैं ने उसको रिजैक्ट नहीं किया और जैसा कि आपने कहा मैंने उसको महत्व का समझा और मैंने उसे मिनिस्टर साहब को भेज दिया। अगर उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो नियम 54 में उनको ऐसा करने का अधिकार था। वह कह सकते थे कि वह इस शार्ट नोटिस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। इस बारे में उन पर कोई उज्र नहीं किया जा सकता।

अब रहा सवाल यह कि अगर मैं उसको महत्व का समझता हूं तो मैं उसको किसी दिन स्टार्ड सवाल की शक्ल में ऐसी जगह रख दूं ताकि उसका जवाब मिल जाए। अब मैं उस सवाल को रखना चाहता था तो पता चला कि 3 मार्च के लिए उसी मजमून का सवाल, जिसकी सूचना 11 जनवरी को दी गयी थी, नोटिस जारी होने के एक दिन बाद, मुकर्रर किया गया है और वह स्टार्ड किवश्चन है। मैं ने उस पर आपका नाम भी रखवा दिया है इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं सकता था। जब उसी मजमून का एक सवाल आ चूका था तो आपके नाम से दूसरा सवाल अलाहिदा नहीं रखा जा सकता था। यह मेरी मजबूरी थी। अगर वह सवाल न होता तो मैं आप के नाम पर अलाहिदा एक सवाल रख लेता।

तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई है जिसमें किसी नियम का उल्लंघन किया गया हो, और इसलिए मुझे फैसला देने की जरूरत नहीं है।

श्री मधु लिमये : आपने कहा कि 11 जनवरी को वह सवाल भेजा गया। लेकिन गोआ विधान सभा में यह प्रस्ताव 22 जनवरी को पास हुआ है। इसलिए उस प्रश्न की शक्ल मेरे प्रश्न से भिन्न हो सकती है। इसी लिए मैंने यह निवेदन किया था।

मैं आपका फैसला माने लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए शुक्रिया।

12·17 hrs.

STATEMENT *RE*: LANGUAGE ISSUE

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri): Sir, the meeting of Chief Ministers of States, convened to consider the language issue, met on 23rd

[Shri Lal Bahadur Shastri]

and 24th February, 1965. The meeting strongly deplored the incitement to violence in order to give expression to grievances of any kind and urged that strong action should be taken to put down lawlessness. It considered that recourse to violence and destruction of public property cut at the very root of the democratic process, which required that all differences should be settled by methods of discussion and persuasion.

The meeting felt that all those who were in a position to influence public opinion should speak out frankly against use of violence and mobilise public support for settling disputes and differences in an orderly way. At the same time, the conference recalled that genuine difficulties as well as unwarranted apprehensions aroused by misleading propaganda must be speedily removed. The conference recalled that through the provisions on the subject in the Constitution, through the enactment of the Official Languages Act, through the decision to have a trilingual basis for education and through the assurance given on the floor of the Lok Sabha by Pandit Jawaharlal Nehru and reiterated and amplified by me in a broadcast to the nation on 11th February 1965, both the long-term objectives and the need to move towards them with necessary caution had already been spelt out.

Hindi is the official language of the Union and English is to continue as an associate language. There was no question of making any modification in these basic decisions on which alone a sound policy could be evolved. What needed consideration was a number of practical issues arising therefrom, including the amendment of the Official Languages Act, 1963, to give effect to the assurances referred to above. The Chief Ministers agreed that the examination of these issues should be taken in hand. The importance of ensuring equality of opportunity, as enjoined by the Constitution, between people belonging to different parts of the country, was emphasized by many Chief Ministers.

Reference was also made to the question of the various States having an equitable share in the All India Services. The need for evolving a sound system of moderation for examinations for All India and higher Central Services before the introduction of Hindi as an optional medium, was emphasized. It was further urged that consideration should be given to the introduction of regional languages as media for these examinations. It was suggested that before any decisions are taken on these questions, a study of all the aspects involved should be undertaken in cooperation with the Union Public Service Commission.

The working of the three language formula evolved by the Chief Ministers' Conference on national integration and accepted by the State Governments were reviewed. It was decided that this formula should be fully and effectively implemented in all the States. It was urged that in accordance with this formula, the study of an Indian language in current use, preferably one of the southern languages, apart from Hindi and English, in the Hindi-speaking areas and of Hindi, along with the regional languages and English in the non-Hindi-speaking areas would further promote the sense of national unity and encourage better and freer communication between the people in the different parts of the country. Necessary action will now be taken by the Union Government in pursuance of the above decisions.

अध्यक्ष महोदय : मैं इस स्टेटमेंट के बारे में क्वैश्चन्स करने के वास्ते हर एक ग्रुप के लीडर को बुलाउंगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इस सम्बन्ध में दिया था. . .